

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

डूंगरसिंह पिता उदा रेबारी निवासी केसरपुरा की ढाणी तहसील भदेसर
बनाम

बालुलाल पिता नर्सिंग रेबारी निवासी केसरपुरा की ढाणी, तहसील भदेसर वगैरा

प्रकरण संख्या 39/2020 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार बावजूद सूचना अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। गैर निगराकारगण की तामील शेष है अधिवक्ता निगराकार ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 03 वर्ष 06 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी गैर निगराकारगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं जबकि नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु इन्हें पूर्व में कई बार निर्देशित किया है फिर भी नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं तथा आज बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं। पुनः रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलान्त तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर के मार्फत् प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	